

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2014

प्रहलाद चन्द शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थी/वादी

1. बलवन्त पुत्र लादू
2. हंसवीर पुत्र लादू
3. रामपाल पुत्र सददा
4. रघुनाथ पुत्र भूरा
5. रतनलाल पुत्र भूरा
6. शिवराज पुत्र भूरा



7. समस्त जाति कुमावत निवासीगण नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयन अधिकारी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अप्रार्थीगण



- मुकदमा नम्बर 165/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. बलवन्त पुत्र लादू
2. हंसवीर पुत्र लादू

समस्त जाति कुमावत निवासीगण नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

प्रहलाद चन्द शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

- मुकदमा नम्बर 163/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
रामपाल पुत्र सददा कुमावतनिवासी नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला अजमेर
प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद चन्द शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

- मुकदमा नम्बर 164/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1. रघुनाथ पुत्र भूरा
2. रतनलाल पुत्र भूरा
जाति कुमावत निवासीगण नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला अजमेर
प्रार्थीगण

बनाम

प्रहलाद चन्द शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर



अप्रार्थी

Dr
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

- मुकदमा नम्बर 162/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शिवराज पुत्र भूरा कुमावत निवासी नयागांव कुमावतों का तहसील केकडी जिला अजमेर प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद चन्द शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. श्री गोविन्द कुमार सोनी एड. प्रार्थी
2. रामप्रसाद कुमावत एडवोकेट अप्रार्थी 2-6
3. श्री सिद्धार्थ सिंह एडवोकेट अप्रार्थी 1



पीठासीन अधिकारी :- श्री शंकरलाल सैनी (आर.ए.एस.)

निर्णय


दिनांक 22.2.19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है-

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सं. 2041 (वर्किंग) के खसरा नं. 184/1/2 रकबा 6-8-00 किस्म माल 3 जिसके नये खसरा नं. 770 रकबा 1.13 हेक्ट. है तथा 770 के नये खसरा नं. 770, 6080/770, 6079/770, 6081/770 बने हैं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की क्रयशुदा आराजी है जो वर्किंग जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 31.05.1992 में खसरा नं. 184/1/2 रकबा 6-8-00 का नोट अंकित हैं। प्रार्थी ने उक्त आराजी रामलाल गुर्जर निवासी कणोंज से क्रय की थी तथा सेटलमेंट से नया रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण 1-6 के नाम राजस्व अधिकारियों की गलती से बिना किसी आदेश व दस्तावेज के गलत अंकन हो गया है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि का बंटवारा कर पृथक-पृथक खाते में अपने नाम दर्ज करा लिये हैं तथा आराजी को भारतीय स्टेट बैंक बघेरा के नाम दर्ज कर दिया है तथा अप्रार्थीगण वर्तमान में उनके नाम दर्ज होने से आराजी को रहन बेचान बक्शीश कर आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी को बेचान व स्थानान्तरण आदि न करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया व अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण ने जवाब दावा पेश किया। जवाब सरकार पेश न होने से जवाब सरकार बन्द किया गया तथा प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पूर्व दिनांक 24.01.2013 को पेश किया गया था, जिसकी छायाप्रति पेश होने से प्रार्थी ने इस वादपत्र में पेश की है जो शामिल पत्रावली हैं। प्रकरण में उभयपक्षों के पुनः बहस सुनी गई जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं -

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सं. 2041 (वर्किंग) के खसरा नं. 184/1/2, रकबा 6-8-00 किस्म माल 3 भूमि प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, किन्तु क्रय शुदा आराजी वर्तमान में नये खसरा नम्बर 770 प्रतिवादी 1 व 2 के नाम, खसरा नं. 6080/770 अप्रार्थी 3 के नाम, खसरा नं. 6079/770 अप्रार्थी संख्या 4-5 के नाम, खसरा नं. 6081/770 अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज खातेदारी में है, जबकि उपरोक्त आराजी प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.1984 से क्रय कर कब्जा विक्रेता से प्राप्त किया था। उपरोक्त आराजी नये सेटलमेंट में बिना किसी आदेश व दस्तावेज के उनके नाम चले जाने से प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी को बेचान आदि कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई


उपस्थित अधिकारी
केकडी (बघेरा)

अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की क्रयशुदा आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जमाबन्दी संवत् 2069-72 के खाता नम्बर 924, 1481, 1565, 1694 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल, रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 07.12.1984 की फोटोप्रति, वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 की छायाप्रति आदि दस्तावेज पेश किये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा तावाद विचाराधीन होने तक पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने जवाब दावों में अंकित बिन्दुओं का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वाद प्रार्थनापत्र पेश करना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार किया है। वर्तमान में वाद प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी अप्रार्थीगण की दर्ज खातेदारी में अंकित होने से अप्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व स्वामित्व में होने से खातेदार के विरुद्ध नियमानुसार स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में अपनी ओर से कोई दस्तावेज या सबूत आदि पेश नहीं किये हैं।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी द्वारा खरीद की जाकर नामान्तकरण संख्या 302 दिनांक 31.05.1992 से उसके नाम दर्ज थी जब कि वर्तमान में उक्त जमीन अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

जमीन अप्रार्थीगण के नाम किस प्रकार दर्ज हुई यह प्रश्न विचारणीय है लेकिन जमीन वर्तमान रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिस सम्बन्ध में निष्कर्ष साक्ष्य के उपरान्त ही निकाला जा सकता है। किन्तु प्रकरण में प्रार्थी प्रथम दृष्टया यह व्यक्त कर पाया है कि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में उसके नाम दर्शित थी अतः प्रकरण में आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में पेमा फ़ैसाई होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मध्य नजर न्यायालय दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित समझता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को पबन्द किया जाता है कि वे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा आराजीयात को किसी भी रूप में अप्रार्थीगण अन्तरित नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 22-2-19 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।



[Handwritten Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 देहरादून (उपखण्ड)